राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नूरपुर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0 के छात्र निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2013 से 3/2016

भाग–एक

1 गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से पाई गईः–

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2013

1	पैरा संख्या 3	निर्णीत	
2	पैरा संख्या 5 (1)	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)
3	पैरा संख्या 6	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)
4	पैरा संख्या 7	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)
5	पैरा संख्या 8 (क)(ख)	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)
6	पैरा संख्या 9	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)
7	पैरा संख्या 10	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)
8	पैरा संख्या 11	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)
9	पैरा संख्या 12	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नूरपुर के अवधि 4/2013 से 3/2016 के निधि लेखों का वर्तमान अंकेक्षण/जांच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेद में दिए गए हैं, श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक 11.5.2016 से 20.5.2016 के दौरान संस्थान के कार्यालय परिसर में किया गया। आय की विस्तृत जांच के लिए माह 8/13, 2/15 व 7/15 तथा व्यय की विस्तृत जांच के लिए माह 3/14, 2/15 व 2/16 चयनित किए गए।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ई0 श्री संजीव सहोत्रा प्रधानाचार्य ने संस्थान में आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्य किया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई की स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

3 अंकेक्षण शुल्क

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नूरपुर के अवधि 4/2013 से 3/2016 के निधि लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में

जमा करवाने हेतु, इसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 को भेजने हेतु, संस्थान के प्रधानाचार्य से अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 72, दिनांक 20.5.2015 द्वारा अनुरोध किया गया। संस्थान द्वारा इस राशि को बैंक ड्राफ्ट संख्याः 878767, दिनांक 24.5.2016 द्वारा प्रेषित कर दिया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नूरपुर द्वारा प्रस्तुत संस्थान की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से रहीः–

वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष में प्राप्त आय	वर्ष में प्राप्त ब्याज	जोड़	व्यय	अन्तशेष
2013–14	2138322	366764	151529	2656615	392844	2263771
2014–15	2263771	722445	140679	3126895	358566	2768329
2015–16	2768329	839027	251885	3859241	436368	3422873

अन्तशेष का विवरण

(i)	दिनांक 31.3.2016 को के0सी0सी0 बैंक नूरपुर के बचत खाता सं0 20003038261 में जमा राशि	269382
(ii)	दिनांक 31.3.2016 को सावधि जमा में निवेशित राशि	3151966
(iii)	दिनांक 31.3.2016 को हस्तगत राशि	1525
	कुल जोड़	**₹3422873**

5 निवेश

संस्थान द्वारा सावधि जमा में दिनांक 31.3.16 तक निवेशित ₹3151966 का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

निवेश की तिथि	एफडीआर नं0 व0 बैंक	निवेशित राशि	दर	अवधि	परिपक्वता राशि	परिपक्वता दिनांक
8.11.15	50062389922 के0सी0सी	973575	7.50%	1 साल	1048640	8.11.16
14.11.15	50062394057 के0सी0सी	600343	7.50%	1 साल	646651	14.11.16
16.11.15	50062394885 के0सी0सी	300000	7.50%	1 साल	323141	16.11.16
8.12.15	50062551997 के0सी0सी	622198	7.50%	1 साल	670192	8.12.16
24.12.15	50062667550 के0सी0सी	655850	7.50%	1 साल	706440	24.12.16
	कुल निवेशित राशि	**3151966**				

6 रसीदों का स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे

जांच के दौरान छात्रों से फीस की वसूली हेतु प्रयोग में लाई गई रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में प्रयोग की लाई गई रसीद बुकों व शेष

रसीद बुकों की जांच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अतः इस सन्दर्भ में औचित्य स्पष्ट करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 **कार्य का नामः** **P/L, C.C 1:3:6 for repairing wall & curing complete including steel form work.**

संविदाकारः **मैसर्ज वरूण मेहरा**

बिल व राशिः **प्रथम व अन्तिम बिल, ₹80682**

अवार्ड पत्र सं0 : **ITI/NPR/STORE/2012-248. DATED 24-2-2014**

उपरोक्त निर्माण कार्य की जांच करने पर निम्नलिखित आपत्तियां पाई गईं :–

(क) निदेशक तकनीकी शिक्षा की अधिसूचना संख्या : EDN(TE)-A(3)–2/2014, दिनांक 8.7.2010 के अनुसार उक्त कार्य छात्र कल्याण निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः उक्त निर्माण कार्य पर खर्च की गई ₹80682 को नियमित करवाने हेतु कार्योत्तर स्वीकृति निदेशक तकनीकी शिक्षा से ली जाए अन्यथा उक्त राशि उचित स्त्रोत से वसूली करके छात्र कल्याण निधि में जमा की जाए व की गई पूर्ण कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) उक्त निर्माण कार्य के बिल की जांच करने पर पाया गया कि आई0टी0आई0 कार्यालय द्वारा निम्नलिखित विवरणानुसार आयकर व बिक्रीकर के रूप से कटौती नहीं की गई। अतः ₹2421 की वसूली उचित स्त्रोत से करके अपेक्षित राशि सम्बन्धित विभागों में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

वा0 सं0 व माह	बिल की राशि	आयकर की राशि	बिक्रीकर की राशि	वसूली योग्य राशि
शून्य, 3/14	80682	807	1614	2421

8 अनियमित रूप से ₹14400 का व्यय करने बारे

जांच के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा छात्र कल्याण निधि से खेल प्रतियोगिता के लिए 40 वालंटियर्स को ₹120 प्रति दिन के हिसाब से तीन दिन के लिए ₹14400 का भुगतान किया गया, जोकि निदेशक तकनीकी शिक्षा अधियाचना संख्या : EDN(TE)-A(3) 2/2014, दिनांक 8.7.2010 के अनुसार उक्त निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः इस सन्दर्भ में औचित्य स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेने के उपरान्त इस अनियमितता को नियमित करवाया जाए अन्यथा ₹14400 की वसूली उचित स्त्रोत से करके इसे छात्र कल्याण निधि में जमा करवाया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 बिजली बिलों के रूप में भुगतान की गई ₹219463 की प्रतिपूर्ति राजकीय कोष से न करने बारे

अंकेक्षण के दौरान जांच में पाया गया कि संस्थान द्वारा बिजली के बिलों का भुगतान छात्र कल्याण निधि से किया जा रहा है, जिनकी प्रतिपूर्ति राजकीय मुख्य शीर्षः 2230–03–003–05–

सून–नॉन–प्लान SOE 20 से उसी प्रकार की जानी अपेक्षित है, जिस प्रकार दिनांक 23.12.2014 से पहले भुगतान किए गए बिजली बिलों की प्रतिपूर्ति संस्थान द्वारा राजकीय कोष से की जा रही थी। इस प्रकार दिनांक 31.3.2016 तक निम्नलिखित विवरणानुसार ₹219463 की प्रतिपूर्ति की जानी शेष है। अतः उक्त राशि की प्रतिपूर्ति उक्त शीर्ष से शीघ्र करके इसे छात्र कल्याण निधि में जमा करवाया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

जिस दिनांक को बिजली के बिल का भुगतान किया	राशि
23.12.2014	9997
27.1.2015	12917
24.2.2015	16307
23.3.2015	13470
1.5.2015	11704
27.5.2015	11470
26.6.2015	12810
25.7.2015	17433
26.8.2015	16237
24.9.2015	12841
26.10.2015	13415
26.11.2015	15453
26.12.2015	10159
28.1.2016	17825
24.2.2016	14958
22.3.2016	12467
कुल जोड़	**219463**

10 जुर्माने के रूप में ₹340 कम वसूलने बारे

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के हाजिरी के रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार जुर्माने की ₹340 कम वसूली गईः–

ट्रेड का नाम	माह	वसूली गई राशि	वसूली योग्य राशि	कम वसूली राशि
प्लम्बर	7/2015	1615	1695	80
इलेक्ट्रॉनिक मकेनिक	8/2013	860	880	20
–यथोपरि–	2/2015	3195	3210	15
–यथोपरि–	7/2015	1455	1495	40
इलेक्ट्रीशियन	1/2015	1645	1805	160
–यथोपरि–	7/2015	2105	2130	25
			कुल कम वसूली राशि	**340**

अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर प्रधानाचार्य द्वारा उक्त राशि रसीद संख्याः 1968 से 1970 द्वारा दिनांक 19.5.2016 को जमा करवा दी गई, जिसकी जमा करने की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

11 अग्रिम रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे

संस्थान द्वारा माह 3/2014 में अग्रिम के रूप में ₹18019 का भुगतान श्री संदीप कुमार को किया गया, परन्तु अंकेक्षण में अग्रिम रजिस्टर जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में संस्थान द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में अग्रिम कब–कब दिया गया तथा कितना–कितना अग्रिम दिया गया तथा अग्रिम से किस–किस प्रयोजन पर कितना–कितना व्यय किया तथा कितनी राशि बची, इत्यादि महत्त्वपूर्ण तथ्यों की वास्तविकता की जांच नहीं की जा सकी। अतः अग्रिम रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अग्रिम रजिस्टर आगामी अंकेक्षण पर जांच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

12 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना

अंकेक्षण में जांच करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा छात्र कल्याण निधि खाते से क्रय किए गए सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना (Physical Verification) नहीं करवाई गई, जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम की धारा 15.17 के अन्तर्गत स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्येक वर्ष सत्यापना की जानी अपेक्षित थी। अतः नियमों की अनुपालना में स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाकर भविष्य में भी वार्षिक सत्यापना करनी सुनिश्चित करते हुए, की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 लघु आपत्ति विवरणिका :– यह अलग से जारी नहीं की गई।

14 निष्कर्ष :– लेखों के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन सं0 :फिन(एल0ए0)सी0(15)xi(ii)–466/2000, खण्ड–2–5196–5197, दिनांक:30.09.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत 1 प्रधानाचार्य, राजकीय औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान नूरपुर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्यौगिक प्रशिक्षण हि0प्र0 सुन्दरनगर, जिला मण्डी हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.